कार्यालय मुख्य कर निर्धारण अधिकारी,

प्रयागराज नगर निगम– प्रयागराज ।

सं0डी0 २५ /मु0क0नि0अधि0/2020 दिनांक –18/5/2020

कार्यालय आदेश

नगर आयुक्त महोदय/मा0 महापौर महोदया के आदेश दिनांक –11–05–2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक व्यवस्था एवं जनहित में नगर निगम राजस्व हित में विगत वर्षो की भांति इस वित्तीय वर्ष 2020–2021 में भी गृहकर की चालू मांग पर बकाया न होने की स्थिति में छूट एवं विलम्ब शुल्क के रूप में नगर निगम अधिनियम में उल्लिखित रीति के अनुसार 12%व्याज लिए जाने के साथ ही दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से दिनांक 31 जुलाई, 2020 तक 10%की छूट गृहकर में अनुमन्य होगी । उपरोक्त आदेश आवासीय भवनों/ अनावासीय भवनों/राजकीय भवनों एवं अर्द्ध शासकीय भवनों यथा केन्द्र सरकार के भवनों पर भी लागू होगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा । तदनुसार आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय ।

(पी0के0 मिश्र)
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– मा0 महापौर महोदया को सादर अवलोकनार्थ ।
2– नगर आयुक्त महोदय।
3– अपर नगर आयुक्त महोदय (प्रथम /एम0,/आर0) ।
4– मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ।
5– मुख्य नगर लेखा परीक्षक ।
6– प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर ।
7– समस्त जोनल अधिकारियों/समस्त जोनल कर अधीक्षकों को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय ।
8– श्री भानु प्रताप यादव,साफ्टवेयर इंजीनियर ,कर विभाग को इस निर्देश के साथ कि नगर निगम द्वारा प्रदत्त 10%की गृहकर छूट को नगर निगम की वेबसाफइट /साफ्टवेयर में अपलोड करें।
9– कार्यालय अधीक्षक /कम्प्यूटर इन्चार्ज (श्री खरे) ।
10– श्री असीम मुकर्जी,डाटाइन्ट्री आपरेटर (कर विभाग मुख्यालय,)नगर निगम प्रयागराज को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ हेतु।

15/05/2020

(पी0के0 मिश्र)
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ।

Scanned with CamScanner

कार्यालय मुख्य कर निर्धारण अधिकारी,

प्रयागराज नगर निगम– प्रयागराज।

पत्र संख्या डी0 97 /मु0क0नि0अधि0/2020 दिनांक 19.5.2020

श्री माणि शंकर त्रिपाठी
आई0टी0 आफिसर

नगर आयुक्त महोदय/मा0 महापौर महोदया के आदेश दिनांक 11.05.2020 के द्वारा विगत वर्षो की भांति इस वित्तीय वर्ष 2020–21 में भी गृहकर की चालू मांग पर बकाया न होने की स्थिति में छूट एवं विलम्ब शुल्क के रूप में नगर निगम अधिनियम में उल्लिखित रीति के अनुसार 12% ब्याज लिये जाने के साथ ही दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से दिनांक 31 जुलाई, 2020 तक 10% की छूट गृहकर में अनुमन्य होगी।

अतः प्रयागराज नगर निगम द्वारा प्रदत्त 10% की छूट को नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

19/05/2020
(पी0के0 मिश्र)
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

प्रतिलिपि– नगर आयुक्त महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

Scanned with CamScanner